



पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

दिनांक: 31.05.2019

Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

Aimer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165





Government of India खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines** 

भारत सरकार

Mine Code: 34RAJ27007

संख्या : RAJ/RJS/LEAD ZINC-03/978-980

प्रेषित : एजेंट, बामनिया कला लेड जिंक <sup>मा</sup>डन.

मैसर्स हिंद्स्तान जिंक लिमटेड,पोस्ट-दरीबा, तहसील-रेलमगरा,जिला-राजसमन्द (राजस्थान) ईमेल-praveen.jain@vedanta.co.in

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Bamnia

Kala Lead Zinc Mine (Lease area 383.78 Hect.) in Rajsamand District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 02.05.2019 & 03.05.2019 by the undersigned and Shri. D.R. Gurjar, Senior Assistnat Controller of Mines in presence of Sh. Hemant Sharma, AGM (Mines).

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The earliear approved mining plan dated 27.04.2007 was valid up to the year 2012-13.But during the inspection it was observed that surface exploration drilling is being carried out in the lease area and as per Form I submitted by you a total of 63 bore holes have been drilled during the year 2018-19 for which there was no approved proposals.
Rule 45(5)(b)	A monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic form (online) along with a signed print copy of the same, if it is not digitally signed, in form F-2, but you have not submitted monthly returns online to this office for the month of April, 2018 onwards.
55(1)(c)(i)	Whole time mining engineer and geologist have not been employed as per rules.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमन्द।

4 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ए.जेड. खान ) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय खान ब्यूरो